

15/12/11

पणावकी आज फ़िरा हुरी वकील गैरसामान
उपाखिल | सामान व उनके अधिकारक
उपाखिल नही | मूल वाद अद्वय हाकिरी व
अद्वय फ़ैरवी के खारिज हो चुका है | मूल
वाद के वगेर ज़ाफ़ फ़ेदणीय नही है | अतः
मूल वाद की रेशनी के प्रार्थना पर
खारिज किया जाता है | पणावकी के लक्ष्यकार
होकर संलग्न मूलवाद रहे |

सहायक कलेक्टर मुहम्मद
धौलपुर (राज.)